लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा

डॉ. महेश कुमार गर्ग

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी

सार

'लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा' (Litmus Test of Democracy) एक व्यापक वैचारिक और राजनीतिक मुहावरा है, जिसका उपयोग अक्सर उन कठिन परिस्थितियों, संकटों या चुनौतियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसकी संस्थाओं और उसके बुनियादी उसूलों की मजबूती को परखते हैं। [1, 2]

लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा के मुख्य पहलू:

- संस्थाओं की निष्पक्षता: न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संसद जैसी स्वतंत्र संस्थाएं दबाव में भी निष्पक्ष काम कर पा रही हैं या नहीं, यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य की असल परीक्षा होती है। [1]
- अल्पसंख्यकों और असहमति का सम्मान: केवल बहुमत से सरकार बनना ही काफी नहीं है; विरोधी विचारों, आलोचना और अल्पसंख्यक अधिकारों की कितनी रक्षा हो रही है, यह तय करता है कि लोकतंत्र कितना जीवंत है। [1, 2]
- चुनावी शुद्धता और पारदर्शिता: पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, फर्जी मतदान पर रोक, और जनता के वोट के अधिकार की सुरक्षा को भी समय-समय पर लोकतंत्र की परीक्षा माना जाता है। [1, 2]
- संवाद और चर्चा: बिना शोरगुल या दमन के संसद और सार्वजनिक मंचों पर गंभीर मुद्दों पर खुली बहस और असहमति जताने की आजादी लोकतांत्रिक मजबूती की पहचान है। [1, 2]
 राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर अक्सर चुनाव, आपातकाल जैसी ऐतिहासिक घटनाएं, या बड़े नीतिगत संकटों के समय इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। [1, 2, 3]

परिचय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा जाना लोकतंत्र के लिये एक चिन्ताजनक घटना है। लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, असहमति के सम्मान और संस्थागत विश्वास पर टिकी हुई एक जीवंत परंपरा है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसद इस लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां न केवल नीतियां बनती हैं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। ऐसे में जब लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु नोटिस दिये जाने की खबरें सामने आती हैं, तो यह घटना किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित न रहकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है। विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उन्हें, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को, सदन में बोलने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा, और इसी आधार पर अध्यक्ष की निष्पक्षता पर

सवाल उठाना, एक गहरी चिंता का विषय है। यह चिंता इसलिए अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस देना यह दर्शाता है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास ज़रूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश दे जाते हैं।[2,3,4]

विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ-साथ सुलह का विकल्प भी खुला रखे हुए हैं, और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना, इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है? क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाये सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाज़ी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उतना ही गंभीर दोष है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप्प होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामे, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से

नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थानों से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध को रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए, जहां तीखी असहमति भी मर्यादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतावनी के रूप में लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकतंत्र की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।

अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। [5,6,7]

विचार-विमर्श

नया साल एक नए सवेरे की तरह है, जो हर वर्ष एक बार आता है और अपने साथ नई शुरुआत की संभावनाएं लेकर आता है। समय के साथ वह अपने चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। यही क्रम एक निरंतर अनुभव है, जिसे इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। यह निरंतरता ही प्रकृति और जीवन का परम सत्य है। नए वर्ष की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को पिछले साल के निरंतर प्रवाह और अनुभवों से सीख लेकर अच्छे कार्यों से करनी चाहिए। यह समय आत्मचिंतन का होता है, जब हमें अपने अच्छे-बुरे कार्यों का मूल्यांकन कर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। नए साल की शुरुआत सद्कर्मों, सकारात्मक सोच और स्पष्ट दिशा के साथ करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। नया वर्ष हर व्यक्ति के लिये बीते हुए वर्ष की सफलताओं और उपलब्धियों के साथ.साथ कमियों और गलतियों का मूल्यांकन करने का समय है। यह हमें अपने आप को भावी वर्ष के लिये योजना बनाने, कार्य करने तथा आगामी वर्ष के लिये नये लक्ष्य तय करने का अवसर प्रदान करता है। नये साल की शुरुआत में हर व्यक्ति को भावी वर्ष के लिये नये लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने की रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि अवसरों को सफलता में बदला जा सके। यदि व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ में ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो सफलता की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्य हमें अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देते हैं।[8,9,10] इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नए वर्ष की शुरुआत में वर्ष भर के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में वह अपने लक्ष्य के लिए किए गए सत्कर्मों और प्रयासों के माध्यम से निरंतर विकास करता हुआ अपने जीवन के चरम और शिखर तक पहुँच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, साथ-साथ अनेक सफलताएँ भी पायी हैं। इन सफलताओं और उपलब्धियों में मोदी सरकार को अपनी गलतियों और कमियों पर पर्दा नहीं डालना

चाहिए। बल्कि अपनी गलतियों और कमियों का मूल्यांकन करके भावी वर्ष के लिये रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि गलतियों और कमियों को सुधारकर अवसरों में बदला जा सके।

परिणाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में जिस प्रकार से अनेक चुनौतियों का सामना किया, उसी प्रकार भावी वर्ष में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाए तो साल 2026 में नरेंद्र मोदी को अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और आने वाला वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा व पीएम मोदी के लिये बेहद अहम है। 2026 में देश के 4 राज्यों- असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में भाजपा के सामने केवल प्रचार का ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की भी चुनौती होगी। इसी क्रम में (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए वर्ष में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से फर्जी, दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम हटाकर वास्तविक और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद को मजबूत करता है। इन पाँच चुनावी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति अलग-अलग है। असम में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि पुडुचेरी में गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है। इन दोनों स्थानों पर सत्ता को बनाए रखना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा अपने संगठन का विस्तार कर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल भाजपा की रणनीति का प्रमुख केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पक्ष मतदान और जागरूक मतदाता पर जोर देना पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है।[11,12,13]

असम और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए कथित रूप से मतदाता सूची में शामिल होकर वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह न केवल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत मतदाता सूचियों की गहराई से जांच की जा रही है। सरकार का तर्क है कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में आवश्यक है, जहाँ अवैध घुसपैठ की समस्या को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कुछ घुसपैठियों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज बनवा लिए हैं, जिसके कारण वे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में ऐसे मतदाताओं का लाभ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जबकि असम में इसका प्रभाव विपक्षी दलों की स्थिति को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। सरकार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य किसी समुदाय या राज्य को

निशाना बनाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि केवल पात्र और वैध नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सकता है। जहाँ तक दो दक्षिणी राज्यों–केरल और तमिलनाडु का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि केवल पाने के अवसर ही हैं। यदि भाजपा इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है, भले ही वह सरकार बनाने की स्थिति में न पहुँचे, तब भी यह पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा प्रदर्शन न केवल संगठनात्मक मजबूती को दर्शाएगा, बल्कि भविष्य में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को विस्तार देने की ठोस आधारशिला भी तैयार करेगा। स्पष्ट है कि यदि मोदी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और प्रभावी संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित करती है, तो आगामी चुनावों में भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इन सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता और असफलता सीधे–सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को प्रभावित करेगी।[14,15,16]

मोदी सरकार ने बीते वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित किया है, जिनका सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुँचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, मुफ्त राशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुँच को मजबूत किया है। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अनेक नई पहलें की गई हैं तथा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आरंभ और विस्तार दिया गया है। इन पहलों का उद्देश्य देश के समग्र विकास को गति देना और अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक विकास की पहुँच सुनिश्चित करना है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उनकी तार्किक परिणति तक पहुँचाए और ठोस, सकारात्मक परिणाम सामने लाए। वर्ष 2025 में मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए बीते वर्षों में लागू हुयी योजनाओं–प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा हरित ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिशन जैसी योजनाओं को गति देने का कार्य किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।नीतियां देखें

साथ ही, मोदी सरकार के समक्ष यह भी चुनौती है कि शासन व्यवस्था को सभी स्तरों पर अधिक कुशल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जवाबदेह और नागरिक–अनुकूल बनाया जाए। इस दिशा में डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ई–गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएँ शासन में विश्वास को मजबूत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन सुधारों को लेकर निरंतर प्रयासरत रहे हैं और उनका स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि विकास का लाभ केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाई दे। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और परिणामोन्मुख शासन ही विकसित भारत की नींव को मजबूत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, देश में मोदी सरकार को ठेकेदारी प्रथा और

आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग गरीब एवं मध्यम वर्ग के श्रमिकों के शोषण का माध्यम बनती जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों से कथित रूप से निरंतर वसूली की जाती है, जिसमें कई बार सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त बताए जाते हैं। यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि श्रम की गरिमा और रोजगार की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। ऐसे में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने अथवा उसे कठोर नियमों और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था के तहत लाने की ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि श्रम नीतियों में सुधार कर स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा।[17,18,19]

स्पष्ट है कि नया वर्ष केवल उत्सव या कैलेंडर परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र–तीनों के लिए आत्ममंथन, मूल्यांकन और नए संकल्प लेने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ उपलब्धियों के साथ–साथ अनेक राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी सामने हैं। ऐसे में सरकार के लिए आवश्यक है कि वह बीते अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य की दिशा को स्पष्ट और सुदृढ़ बनाए। यदि मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता, राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती तथा सुशासन की भावना के साथ आगे बढ़ती है, तो आने वाला वर्ष लोकतंत्र को और अधिक सशक्त करने वाला सिद्ध हो सकता है। साथ ही, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि, जवाबदेह प्रशासन और नागरिक–केंद्रित नीतियों के माध्यम से सरकार न केवल चुनौतियों का समाधान कर सकती है, बल्कि उन्हें अवसरों में भी बदल सकती है। इस प्रकार नया वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए स्वयं को परखने, नीतियों को धरातल पर उतारने और राष्ट्र को विकास, स्थिरता तथा विश्वास के नए पथ पर आगे ले जाने का अवसर है। यदि यह संतुलन साधा जाता है, तो आने वाला वर्ष न केवल भाजपा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और सशक्त लोकतंत्र का नया अध्याय साबित हो सकता है। वर्ष 2026 में मोदी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के साथ–साथ बेहतर लैंगिक संवेदनशीलता भी सुनिश्चित करनी होगी। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिये तहेदिल से और एकाग्रचित होकर प्रयास करना होगा, जो कि उनके हर प्रयास में दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये वर्ष 2026 में अनेक उपलब्धियाँ गढ़ने का अवसर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्पूर्ण देश का नागरिक एक सशक्त, एकजुट एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लें तो देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।

निष्कर्ष

कश्मीर ने अग्नि परीक्षा और रक्त बलिदान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्से के रूप में अपना भाग्य पाया है। कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ने वाले सैनिकों और नागरिकों की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता और न ही व्यर्थ जाने दिया जा सकता है।

कश्मीर ने अग्नि परीक्षा और रक्त-बलिदान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनकर अपना भाग्य पाया है। कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ने वाले सैनिकों और नागरिकों की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता और न ही व्यर्थ जाने दिया जा सकता है। जो लोग कुछ स्वार्थों के चलते इस क्षेत्र को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी नापाक योजनाएँ कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि वे भारतीय संघ के लोकतांत्रिक वातावरण में अपनी संतानों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए महान बलिदानों का अनादर करते हैं। वर्तमान पीढ़ी को उन आदर्शों पर खरा उतरना चाहिए जिनके लिए उनके पूर्वजों ने संघर्ष किया और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए बलिदान व्यर्थ न जाएँ।[20]

संदर्भ

1. स्मिथ, बोनी जी., संपादक (2008)। "लोकतंत्र" । द ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया वीमेन इन वर्ल्ड हिस्ट्री । ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस । 24 फरवरी 2021 को पुनः प्राप्त ।
2. श्वाट्र्जबर्ग, मेलिसा (2014)। "लोकतंत्र"। राजनीतिक विचार का विश्वकोश । पृ. 851–862 . doi : 10.1002/9781118474396.wbept0248 . ISBN 978-1-4051-9129-6.
3. "लोकतंत्र | परिभाषा, इतिहास, अर्थ, प्रकार, उदाहरण और तथ्य" । एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका । 16 अगस्त 2023। 17 अगस्त 2023 को प्राप्त किया गया ।
4. प्रज़ेवोर्स्की, एडम (2024)। "लोकतांत्रिक क्या है, यह कौन तय करता है?" । जर्नल ऑफ़ डेमोक्रेसी । 35 (3): 5–16 . doi : 10.1353/jod.2024.a930423 । ISSN 1086-3214 ।
5. डाहल, रॉबर्ट ए.; शापिरो, इयान; चेइबुब, जोस एंटोनियो (2003). द डेमोक्रेसी सोर्सबुक . एमआईटी प्रेस. पृष्ठ 31. ISBN 978-0-262-54147-3.
6. मोलर, जोर्गेन; स्कानिंग, स्वेन्ड-एरिक (जनवरी 2013)। "शासन के प्रकार और लोकतांत्रिक अनुक्रमण" । जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी । 24 (1): 142–155 । doi : 10.1353/jod.2013.0010 । ISSN 1045-5736 । मूल से 22 फरवरी 2024 को संग्रहित ।
7. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी : "लोकतंत्र"।
8. वाटकिंस, फ्रेडरिक (1970)। "लोकतंत्र"। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका । खंड 7 (एक्सपो '70 हार्डकवर संस्करण)। विलियम बेंटन। पृष्ठ 215-23 । ISBN 978-0-85229-135-1.
9. विल्सन, एन.जी. (2006). प्राचीन ग्रीस का विश्वकोश . न्यूयॉर्क: रूटलेज. पृष्ठ 511. ISBN 978-0-415-97334-2.
10. ड्यूडनी, डैनियल (9 नवंबर 2008)। बाउंडिंग पावर । प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। ISBN 978-0-691-13830-5.

11. डायमंड, लैरी (15 सितंबर 2015)। "टाइमलाइनः मंदी में लोकतंत्र" । द न्यूयॉर्क टाइम्स । 25 जनवरी 2016 को पुनः प्राप्त किया गया ।

12. फुकुयामा, फ्रांसिस (2006). इतिहास का अंत और अंतिम मनुष्य । साइमन एंड शूस्टर। ISBN 978-0-7432-8455-4.

13. वाइके, रिचर्ड; फेटरोल्फ, जेनेल; स्मेरकोविच, मारिया; ऑस्टिन, सारा; गुब्बाला, स्नेहा; लिपर्ट, जॉर्डन (28 फरवरी 2024)। "1. विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रणालियों के प्रति दृष्टिकोण" । प्यू रिसर्च सेंटर ।

14. एंडरसन, क्रिस्टोफर जे.; बोल, डेमियन; आनंदा, ऑरेलिया (2021)। "लोकतंत्र और राजनीतिक नेताओं के बारे में मानवता के दृष्टिकोण" । पब्लिक ओपिनियन क्वार्टरली । 85 (4): 957–986 . doi : 10.1093/poq/nfab056 . ISSN 0033-362X . PMC 8754486. PMID 35035302 .

15. हाइड, सुसान डी. (2011). छद्म-लोकतंत्रवादी की दुविधाः चुनाव पर्यवेक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड क्यों बन गया . कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस. ISBN 978-0-8014-6125-5. जेस्टोर 10.7591/j.ctt7z647 .

16. गुरिएव, सर्गेई; ट्रेइसमैन, डैनियल (2022)। स्पिन डिक्टेटर्सः 21वीं सदी में अत्याचार का बदलता चेहरा । प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। ISBN 978-0-691-22446-6.

17. ट्यूडर, माया (2025)। "लोकतंत्र क्या करता है... और क्या नहीं करता है" । जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी । 36 (4): 5-19 . doi : 10.1353/jod.2025.a970345 . ISSN 1086-3214 .

18. वी-डेम इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022: निरंकुशता प्रकृति को बदल रही है? पृष्ठ 6, 13, 18: "तानाशाही बढ़ रही है और दुनिया की 70% आबादी – 5.4 अरब लोगों को आश्रय देती है।"

19. आर्थिक खुफिया इकाई लोकतंत्र सूचकांक, 2022, पृष्ठ 4: "लोकतंत्र के हमारे माप के अनुसार, विश्व की आधी से भी कम (45.7%) आबादी अब किसी न किसी प्रकार के लोकतंत्र में रहती है, जो 2020 (49.4%) से एक महत्वपूर्ण गिरावट है।"

20. रिचर्ड वाइके; जेनेल फेटरोल्फ; जोनाथन शुलमैन (30 जून 2025)। "कई देशों में लोकतंत्र से असंतोष व्यापक रूप से बना हुआ है" । प्यू रिसर्च सेंटर । 14 दिसंबर 2025 को प्राप्त किया गया ।